

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 184-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 20, 2023 (ASVINA 28, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अक्तूबर, 2023

संख्या 57/जीएसटी—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 54 की उप—धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जन हित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 50/एसटी—2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 50 / एसटी—2, दिनांक 30 जून, 2017 में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, "हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II की मद 5 के उप—मद (ख) में विनिर्दिष्ट" शब्दों, कोष्ठक, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "परिसर, भवन या उसके एक हिस्से का निर्माण, जो किसी खरीददार को, पूर्णतः या भागत्ः, बिक्री के लिए आशयित है, जहां सेवा के प्राप्तिकर्ता से प्रभारित राशि में भूमि का मूल्य या भूमि का अविभाजित हिस्सा शामिल है, जैसी भी स्थिति हो, सिवाय कि जहां सम्पूर्ण प्रतिफल, समापन प्रमाण—पत्र, जहां आवश्यक हो, जारी होने के बाद, सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसके प्रथम अधियोग के बाद, जो भी पहले हो, प्राप्त हो गया हो", शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 20 अक्तूबर, 2023 से लागू होगी।

देविंदर सिंह कल्यान, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 20th October, 2023

No. 57/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 54 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.50/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 50/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the opening paragraph, for the words, brackets, letters and figures "specified in sub-item (b) of item 5 of Schedule II of the said Act", the words, "of construction of a complex, building or a part thereof, intended for sale to a buyer, wholly or partly, where the amount charged from the recipient of service includes the value of land or undivided share of land, as the case may be, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate, where required, by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier", shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

DEVINDER SINGH KALYAN, Principal Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.

10664—C.S.—H.G.P., Pkl.